Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 18-05-2006

Participants : Rathod Shri Harisingh Nasaru

>

Title : Need to provide reservation for Nomadic tribes alongwith OBCs in higher educational institutions.

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : महोदय, ओबीसी के आरक्षण के बारे में आज समूचे देश में विरोध चल रहा है और आरक्षण के पक्ष में भी ओबीसी के लोग अब आगे आये हैं। मंडल आयोग ने अपनी रिपोट दी थी, उस रिपोर्ट में उच्च शिक्षा जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग में आरक्षण रखने की सिफारिश की थी। यह रिपोर्ट सरकारे ने मान ली है। उतना ही नहीं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला और इंदिरा साहनी केस में भी गहरायी से विचार हुआ और यह माना गया कि मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण उच्च शिक्षा में रखा जाये।

आज आरक्षण विरोधियों का कहना है कि मेरिट के ऊपर आरक्षण होना चाहिए न कि जाति आधार पर। यह मुद्दा 25 साल पहले ही बहुत गहरायी के साथ पूरे देश में चर्चा किया गया। अब नये सिरे से उसे उठाना कतइ ठीक नहीं है। देश आजाद हुआ और भारत के संविधान के निर्माताओं ने देश में ऊंच नीच भेद का अंतर मिटाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान रखा था। सभी को समान स्थल पर जाने हेतु यह उचित प्रयास है। आरक्षण विरोधी जब मेरिट की बात करते हैं तो उनका कहना है कि उच्च शिक्षा का प्रावधान ओबीसी के लिए करो। मेरा यह मानना है कि जिस तरह गरीबों के बच्चों को बेहतर शिक्षा पाने लगेंगे और यह सभी मेरिट में आने लगेंगे, उस दिन आरक्षण खत्म करना ही होगा, लेकिन आज अगर आरक्षण नीति हटा दी जाती है तो 15 प्रतिशत उच्च जाति 70 प्रतिशत सीटें ले लेंगी तो हम समानता कैसे लायेंगे।

जब सूचे देश में 50 प्रतिशत आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ माना जाता है तो सीटें बढाने से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। हमें मानना चाहिए जब 200 सीटें होनी है तो 100 सीटें बैकवर्ड के लिए ही हैं। जब हम सीटें बढ़ायेंगे तो स्वाभाविक है बैकवर्ड का आरक्षण पच्चास प्रतिशत बढ़ा ही जायेगा।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार सीटें बढ़ाने के बारे में कुछ न सोचे। ओ.बी.सी के साथ डिनोटीफाइड और नोमेडीक ट्राइब्स को भी आरक्षण लागू करे।